



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27352-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 1946 वर्ष 2026

शिव नारायण यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मजाहर अली

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., त्रिलोकी नाथ

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिलोकी नाथ को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. शुरुआत में ही, विद्वान एजीए ने अद्वगत कराया कि विवेचना के दौरान, बी.एन.एस. की धारा 65(1) व 64(2) और पॉक्सो अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि वे इस रिट याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं और बेहतर विवरणों के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।

6 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"